रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-11062021-227493
CG-DL-E-11062021-227493

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2098] नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 11, 2021/ज्येष्ठ 21, 1943
No. 2098] NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 11, 2021/JYAISHTHA 21, 1943

भारी उद्योग एवं लोक उद्यम मंत्रालय

(भारी उद्योग विभाग)

शुद्धि-पत्र

नई दिल्ली, 11 जून,2021

का.आ. 2258(अ).—भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों का त्वरित अंगीकरण और विनिर्माण, चरण-II स्कीम (फेम चरण-II), जिसे भारी उद्योग विभाग के सां.आ. संख्या 1300(अ), दिनांक 8 मार्च,2019 को अधिसूचित किया गया था, में आंशिक आशोधन करते हुए निम्नांकित संशोधन सरकारी राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख़ से प्रभावी किए जाते हैं-

पैराग्राफ 17 के पश्चात्, उप-पैराग्राफ 17(i) और 17(ii) जोड़े जाएंगे,नामतः-

पैरा 17(i): तिपहिए इलेक्ट्रिक वाहन की अपफ्रंट लागत को कमतर तथा आईसीई तिपहिए की बराबरी के स्तर पर लाने के लिए मुख्य विधि समुच्चयन होगी। ईईएसएल बहुप्रयोक्ता खंडों के लिए 3 लाख इलेक्ट्रिक तिपहियों की मांग को एकत्र करेगा। कार्यान्वयन हेतु ब्यौरे ईईएसएल तैयार करेगा।

पैरा 17 (ii): इलेक्ट्रिक बसों के लिए चालीस लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरों (मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरू, हैदराबाद, अहमदाबाद, चेन्नई, कोलकाता, सूरत और पुणे) को लक्षित किया जाएगा। ईईएसएल स्कीम के अंतर्गत ओपेक्स आधार पर शेष ई-बसों के लिए इन 9 नगरों में मांग का समुच्चय करेगा। कार्यान्वयन हेतु ब्यौरे ईईएसएल तय करेगा।

पैराग्राफ 20 के पश्चात्, उप-पैराग्राफ 20(i) को जोड़ा जाएगा,नामतः

पैरा 20(i): इलेक्ट्रिक दुपहियों के लिए मांग प्रोत्साहन 15000/- रूपए प्रति किलोवाट घंटे की दर से होगा।

पैराग्राफ 26 के पश्चात्, उप-पैराग्राफ 26(i) को जोड़ा जाएगा, अर्थात्-

पैरा 26(i): इलेक्ट्रिक दुपहियों के लिए प्रोत्साहन की सीमा वाहन लागत के 40 प्रतिशत के बराबर होगी।

[फा.सं. 6(02)/2019-एनएबी-II(ऑटो)]

अमित मेहता, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HEAVY INDUSTRIES AND PUBLIC ENTERPRISES

(Department of Heavy Industry)

CORRIGENDUM

New Delhi, the 11th June 2021

S.O. 2258(E).—In partial modification of the Scheme for Faster Adoption and Manufacturing of Electric Vehicles in India Phase II (FAME India Phase II) which was notified by the Department of Heavy Industry vide S.O. No. 1300(E) dated 8th March 2019, the following amendments are made with effect from date of its publication in the Official Gazette: -

After paragraph 17, sub-paragraphs 17(i) & 17 (ii) will be added, namely:

Para 17 (i): Aggregation will be the key method for bringing the upfront cost of 3W EV at an affordable level and at par with ICE 3-Wheelers. EESL will aggregate demand for 3 lakh Electric 3 Wheelers for multiple user segments. Details will be worked out by EESL for implementation.

Para 17 (ii): For Electric Buses, 4 million plus cities (Mumbai, Delhi, Bangalore, Hyderabad, Ahmedabad, Chennai, Kolkata, Surat, and Pune) will be targeted. EESL will go for aggregation of demand in these 9 cities for remaining E-buses under the Scheme on OPEX basis. The details shall be worked out by EESL for implementation.

After paragraph 20, sub-paragraph 20 (i) will be added, namely:

Para 20(i): For Electric 2 Wheelers, demand Incentive will be @ Rs 15000/- per KWh.

After paragraph 26, sub-paragraph 26 (i) will be added, namely:

Para 26(i): The cap on incentives for Electric 2 Wheelers will be 40% of the cost of vehicles.

[F.No. 6(02)/2019-NAB-II(Auto)]

AMIT MEHTA, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2021.06.11 17:13:08 +05'30'